पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2021 ई0 (कार्तिक 22, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–46

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सके

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	577–580	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	763–767	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	379–404	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्यालय, निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाणक

18 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्याः–952/एक–3(200)/नि0ले0प0ऑ0/पदभार–ग्रहण/2021–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग (अनुभाग–1) के तैनाती आदेश संख्याः–636/XXX–1–2021, देहरादून, दिनांकः 14 अक्टूबर, 2021 के अनुपालन में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, निदेशक, ऑडिट का कार्यभार, आज दिनांकः 18 अक्टूबर, 2021 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे

प्रतिहस्ताक्षरित

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

राजस्व परिषद्

29 सितम्बर, 2021 ई0

संख्याः–2748/2021–उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1, 1904) की धारा 21 सपठित उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उ0प्र0 अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 234 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 मे अग्रेतर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख और संक्रिया (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 14 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया नियमावली, 2020 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 14 के उपनियम (5) में 'इक्कीस दिनों' के स्थान पर 'दस दिनों' शब्द रखे जायेंगे।

नियम 18 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 18 के उपनियम (2) के अंत में "प्रत्येक सम्पत्ति संख्या के प्रपत्र–9 के साथ सम्पत्ति का नजरी नक्शा जो तकनीकी ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया गया हो, संलग्न किया जायेगा" शब्द अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे।

ह0 (अस्पष्ट)

आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **2748/2021**, Dated September 29, 2021 for general information.

September 29, 2021

No.2748/2021--In exercise of the powers under section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) read with sub-section (1) of section 234 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 3 of 1901), the Board of Revenue, Uttarakhand makes the following rules with the view to further amend the Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation Rules, 2020 with the prior approval of the State Government.

The Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation (Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation (Amendment) Rules, 2021.

(2) It shall come into at once.

Amendment of rule 14

2. In rule 14 of the Uttarakhand Abadi Survey and Record Operation Rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules) in sub-rule (5), for the words "21 days", the words "10 days" shall be substituted.

Amendment of rule 18

3. In rule 18 of the principal rule, in the end of sub-rule (2) the words "with every property form no.-9, the site plan of the property provided by the Technical Agency shall be attached" shall be inserted.

illegible,

Commissioner and Secretary,

Board of Revenue.

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड C –64 नेहरू कॉलोनी देहरादून।

कार्यभार प्रभार प्रमाणन

29 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक संख्याः–3627/BOCW/2021–उत्तराखण्ड शासन के श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 1292/VIII–1/21–84(श्रम)/2005 दिनांक 29.09.2021 के अनुरूप, आज दिनांक 29.09.2021 के अपरान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,
डॉ0 हरबंस सिंह चुघ,
सचिव श्रम,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यभार प्रभार प्रमाणन

29 सितम्बर, 2021 ई0

पत्रांक संख्याः–3628/BOCW/2021–उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या 586/XXX–1–2021 दिनांक 29.09.2021 के अनुरूप, आज दिनांक 29.09.2021 को अपरान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव, का कार्यभार ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,
डॉ0 अभिषेक त्रिपाठी, PCS

प्रतिहस्ताक्षरित,

डा0 हरबंस सिंह चुघ,
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/438–भाग–1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2021 ई0 (कार्तिक 22, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

October 22, 2021

No. 345/XIV-/39/Admin.A--Shri Gyanendra Kumar Sharma, District Judge, Pithoragarh is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 04.10.2021 to 10.10.2021.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

November 09, 2021

No. 357/UHC/Admin.A/2021--In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, and all other powers enabling in that behalf, Hon'ble the Chief Justice is pleased to make the following amendments in the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 (as applicable to High Court of Uttarakhand), and hereinafter referred to as the 'Principal Rules':-

The Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) (as applicable to High Court of Uttarakhand) (Second Amendment) Rules, 2021

1. (1) These Rules may be called the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) (as applicable to High Court of Uttarakhand) (Second Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

2. In Rule 8 (a) in the Principal Rules, for the words *'PBX Operators'*, words *'Public Relation Assistants'* shall be substituted.

3. In Rule 8 (a) in the Principal Rules, for the words as mentioned in Column-A below, the words as mentioned in the Column-B shall be substituted:-

Column A	Column B
By direct recruitment through competitive examination conducted by the appointing authority	(i) By promotion amongst the eligible Class-IV employees of the establishment of the High Court, who are graduate, and have completed five years of continuous regular service. Or By direct recruitment at the discretion of the Chief Justice, for which the candidate must be graduate, with basic knowledge of computer applications and inter-personal communication skills. (ii) For the promotions, applications from such number of eligible Class-IV employees, in accordance with their seniority in the Class-IV Cadre shall be invited, as fixed by the Chief Justice. (iii) The promotion shall be made on the basis of merit-cum-seniority of the candidates, assessed by a Committee on the basis of appraisal of service records,

		assessment of basic knowledge of computer applications and inter-personal communication skills. The Committee shall be constituted by the Chief Justice. (iv) For appraisal of service records, entries in Annual Confidential Reports of the last five years shall be assessed, and marks shall be given in the following manner:- Outstanding- 5 marks Very Good - 4 marks Good - 3 marks Poor/Adverse- 0 marks (Total marks of service record-25 marks) (v) Basic knowledge of computer applications shall be assessed by written and practical test, which shall carry maximum of 35 Marks. (vi) Inter-personal communication skills shall be assessed by an interview, which shall carry maximum of 40 Marks. (vii) The promotion to the post of Public Relation Assistants shall be made as per merit of the candidates, in order of aggregate marks obtained in appraisal of service records, assessment of basic knowledge of computer applications and inter-personal communication skills.

4. In Rule 8 (b) in the Principal Rules, for the words as mentioned in Column-A below, the words as mentioned in the Column-B shall be substituted:-

Column A	Column B
(iii) 5% of the posts shall be filled up by promotion from amongst PBX Operators, who are graduate and completed five years of continuous service, on the basis of seniority-cum-suitability.	(iii) 5% of the posts shall be filled up by promotion on the basis of seniority-cum-suitability, amongst the Public Relation Assistants, who are graduates and have completed five years of continuous service as such.

5. Rule 9 (i) (a) and Rule 9 (c) of the Principal Rules shall be deleted.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

कार्यालय डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

23 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 1693/चार–20(2021)टी0सी0यू0–डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड कैडर) के 02 अधिकारियों हेतु दिनांक 16 अगस्त से 18 सितम्बर, 2021 की अवधि में 12वाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	विषय			
1.	श्री अभिमन्यु, बैच 2019	A	B	C	D
2.	श्री जीवन मोहन दगाड़े, बैच 2019	A	B	C	D

विषयक संकेत:

A. Forest Act and Laws
B. Budget and Financial Administration
C. Revenue Laws and Acts
D. Public Administration

नैनीताल, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2021

विज्ञप्ति

23 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 1694/चार–17(2021)/टी0सी0यू0–डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग बैच–2020) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनांक 16 अगस्त से 06 नवम्बर, 2021 की अवधि में 19वें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गयी विभागीय परीक्षा भाग–1 व भाग–2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी	विषय									
1.	डॉ0 दीपक सैनी, आई0ए0एस0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.	श्री दिवेश शाशनी, आई0ए0एस0	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

विषय संकेतः–

A. आपराधिक वाद निर्णय लेखन
B. राजस्व वाद निर्णय लेखन
C. राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा भू–सर्वेक्षण
D. हिन्दी टिप्पणी एवं पत्र लेखन
E. जिला प्रशासन
F. लोक प्रशासन
G. बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया
H. स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम
I. नियोजन एवं विकास
J. कृषि एवं ग्राम्य विकास

नैनीताल, दिनांकः 23 अक्टूबर, 2021

सुशील कुमार,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/438–भाग–1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 नवम्बर, 2021 ई0 (कार्तिक 22, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

I Urmila Kavi W/o late S.L.Kavi D/o Swaraj R/o Raksha Vihar near Aanchal dairy Raipur Road Dehradun. Have changed my name from Urmila Devi to Urmila Kavi for all future purposes.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Urmila Kavi W/o late S.L.Kavi
D/o Swaraj R/o Raksha Vihar near
Aanchal dairy Raipur Road
Dehradun

कार्यालय नगर पालिका परिषद बाजपुर, (ऊधमसिंहनगर)

सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद बाजपुर–प्रस्तावित उपविधि

17 अगस्त, 2021 ई0

पत्रांक 1138/ठोस अवशिष्ट/2021–2022–नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 के खण्ड झ, घ, व धारा 299 तथा पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का धारा) की धारा –3, 6 व 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ड), 15(च) एव 15(य च) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पालिका परिषद बाजपुर जनपद ऊधमसिंहनगर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिये अपने क्षेत्राधिकार में नगर पालिका परिषद बाजपुर की बोर्ड बैठक दिनाक 31–07–2019 में प्रस्ताव स0–3(8) के माध्यम से रखा गया एव आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष सकल्प से पारित हुआ

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपतियॉ जिस व्यक्ति/दुकान/प्रतिष्ठान/कार्यालय आदि को इस उपविधि का प्रभाव पडता हो तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बाजपुर को प्रेषित की जा सकेंगी, नियत अवधि के उपरान्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा ।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2019

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद बाजपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद बाजपुर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पालिका परिषद बाजपुर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप-नियम नगर पालिका परिषद बाजपुर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू रहेंगी।

(क) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग, टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पतियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस.डब्लू.एम. नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और पंचायत कार्यालय के सफाई निरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक।

(ग) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुँचाना।

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं नगर पालिका परिषद बाजपुर का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ङ) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना हैं।

(छ) "सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र।

(ज) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका परिषद बाजपुर या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

(झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका परिषद बाजपुर के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।

(ञ) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं।

(ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेषन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय

स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता हैं

(ठ) "ठोस अपषिष्ट" (कूडा-कचरा) का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो।

(ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं।

(ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(त) "पैलेटाइजषन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(थ) "निर्धारित" का अर्थ है, एस.डब्लू.एम. नियमो या इन उपनियमों द्वारा निर्धारित।

(द) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही।

(ध) "सग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके।

(न) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पालिका परिषद के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिये नगर पालिका परिषद अथवा एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति।

(प) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्वद्द शेड्यूल से हैं।

(फ) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पालिका परिषद द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें।

(ब) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से संम्वद्द कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो।

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय -2

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(1) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगाः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पालिका परिषद बाजपुर के निर्देशों के अनुसार पृथककृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(2) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्क्त कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौंपेगा और उसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(3) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-

हराः- जैव अपघटीय कचरे के लिए।

नीलाः- गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए।

कालाः- घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए।

(4) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका परिषद बाजपुर के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेसिंग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(5) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका परिषद बाजपुर की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(6) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका परिषद बाजपुर के भागीदारी से, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(7) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका परिषद को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पालिका परिषद द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(8) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(9) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(10) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पालिका परिषद के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(11) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका परिषद या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(12) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(13) बायो मेडिकल कचरा, ई-कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(14) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(15) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न या गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पंचायत श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:-

(1) नगर पालिका परिषद बाजपुर के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस.डब्लू.एम. नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका परिषद बाजपुर संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्वद्द क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पालिका परिषद बाजपुर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(3) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(4) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(5) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(6) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(7) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(8) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड (क-4) और (क-5) के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(9) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(10) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(11) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाऐ और नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं

तालिकाबद्द और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका परिषद बाजपुर अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पालिका परिषद बाजपुर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(12) तग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्री-व्हीलर अथवा छोटे मोटर युक्त वाहन/साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(13) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्री-व्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(14) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्री-व्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहा कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर पालिका परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(15) ऑटो टिप्पर, थ्री-व्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(16) नगर पालिका परिषद बाजपुर या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा सग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लाईनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय-4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

क-(1) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक सग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(2) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:-

(क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा।

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा।

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(3) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा चिन्हित अलग-अलग. कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:-

> हरा:- जैव अपघटीय कचरे के लिए।

> नीला:- गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए।

> काला:- घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए।

नगर पालिका परिषद समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित सग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(4) नगर पालिका परिषद बाजपुर स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(5) द्वितीयक संग्रहण डीपूओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका परिषद या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(6) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(7) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(8) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(9) नगर पालिका परिषद या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

ख- सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रिसाईक्लिंग सेंटर

(1) नगर पालिका परिषद अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रिसाईक्लिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(2) गली/घर घर जाकर कचरा सग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाईक्लिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(3) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाईक्लिंग योग्य सूखा कचरा इन रिसाईक्लिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पालिका परिषद से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रिसाईक्लिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रिसाईक्लिंग योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाईक्लिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

ग- निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(1) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(2) नगर पालिका परिषद बाजपुर अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(3) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगीः-

(1) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली-भॉति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(2) नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस-पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(3) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(4) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(5) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।

(6) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(7) नगर पालिका परिषद बाजपुर कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(8) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार-बार परिचालन से बचा जा सकें।

(9) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(10) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(11) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(12) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(13) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(14) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेगा।

(15) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिवद्द एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(16) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर-उधर न फैले।

(17) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द-गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(18) नगर पालिका परिषद बाजपुर अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय-6

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

(1) नगर पालिका परिषद बाजपुर ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्द ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रोधिगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्द्तिअ।

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) (1) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(2) नगर पालिका परिषद रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(3) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बन्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(4) नगर पालिका परिषद बाजपुर सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रिसाईक्लिंग योग्य पदार्थ रिसाईक्लिंग करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

(1) नगर पालिका परिषद बाजपुर सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(2) नगर पालिका परिषद बाजपुर यह नियम प्रवृत करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितिया बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(3) नगर पालिका परिषद बाजपुर यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उधानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उधानों में ही किया जाए।

(4) नगर पालिका परिषद कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परन्तु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

10 ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका परिषद बाजपुर अपशिष्ठ कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस.डब्लू.एम. नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडफिल और सम्बद्व ढॉचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद बाजपुरअथवा नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका परिषद बाजपुर इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अधतन जाएगा।

(घ) नगर पालिका परिषद बाजपुर ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्दतियां अपनाएगा।

(ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छः माही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छः महीने के बजाए साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची-1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एस.डब्लू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :-

(क) एस.डब्लू.एम. नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची-2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, सफाई निरीक्षक, कर निरीक्षक, सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दण्ड राशि अनुसूचि-2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची-2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः-

(1) कूडा फैंकने पर पाबंदीः-

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलानाः अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना :- अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडैदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फैंकना :- किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना :- कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी :- कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटानः- कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(2) कचरे को जलाना :- सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(3) "स्वच्छ क्षेत्र" :- प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरंल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(4) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका परिषद बाजपुर से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वःस्वच्छता सुनिश्चित करें।

(I) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पालिका परिषद बाजपुर द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्द जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पालिका परिषद बाजपुर की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पालिका परिषद बाजपुर के सम्बद्द जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(ii) खाली प्लाट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका परिषद बाजपुर निम्नांकित ढंग से निपटेगी:-

(क) नगर पालिका परिषद बाजपुर किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाए पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका परिषद बाजपुर निम्नांकित कार्यवाई कर सकती है :-

(iii) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (2) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

(iv) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, कॉच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका परिषद बाजपुर के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करनेवाले ब्रैड

मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका परिषद बाजपुर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका परिषद बाजपुरइस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्स सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रिसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पालिका परिषद बाजपुर के दायित्व :-

(1) नगर पालिका परिषद बाजपुरअपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका परिषद बाजपुर अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद बाजपुर सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हों।

(2) नगर पालिका परिषद बाजपुर अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आस-पास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख-रखाव करेगा।

(3) नगर पालिका परिषद बाजपुर विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलो पर बने पेशाब घरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(4) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अधिशासी अधिकारी या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(5) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका परिषद बाजपुर जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(6) नगर पालिका परिषद बाजपुर अधतन सड़क/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(7) नगर पालिका परिषद बाजपुर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(8) नगर पालिका परिषद बाजपुर कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे। नगर पालिका परिषद विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(9) नगर पालिका परिषद बाजपुर स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रिसाईक्लिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रिसाईक्लिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(10) नगर पालिका परिषद बाजपुर ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(11) नगर पालिका परिषद बाजपुर यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(12) नगर पालिका परिषद कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(13) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पालिका परिषद बाजपुर को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेंगा।

(14) नियमित जांच :- अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एस.डब्लू.एम.नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(15) नगर पालिका परिषद बाजपुर अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(16) नगर पालिका परिषद एस.डब्लू.एम. नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्द कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(17) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका परिषद बाजपुर अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐं प्रदान करेगा।

(18) नगर पालिका परिषद एस.डब्लू.एम.नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय-10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद बाजपुर के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय :- नगर पालिका परिषद बाजपुर अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र0सं0	अपषिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्जेर रू0)
1	गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल काई धारकं)	रु0 10.00 प्रतिमाह
2	कम आय वाले घर (बी.पी.एल.कार्ड धारक के अतिरिक्त रू 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर)	रु0 .25.00 प्रतिमाह
3.	मध्यम आय वाले घर (रु0 5000.00 से अधिक रु0 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु0 .30.00 प्रतिमाह
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु0 50.00 प्रतिमाह
5.	सब्जी एवं फल विक्रेता	रू0 50.00 प्रतिमाह
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 150.00 रु प्रतिमाह
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु0 100.00/- मध्यम रु0 200.00/ तथा बडे रु0 500.00 प्रतिमाह
8.	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु0 300.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु0 400.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु0 500.00 प्रतिमाह
9.	धर्मशाला	रु0 10 प्रति कमरा प्रतिमाह रू0 300/- प्रति उत्सव/समारोह
10.	बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नॉन-चेरिटेबिल)	रु0 150.00 प्रति उत्सव रु0 500.00 प्रति उत्सव
11.	बेकरी	रु0 100.00 प्रतिमाह
12.	कार्यालय	रु0 100 प्रतिमाह
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु 1000.00,उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त प्रतिमाह
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय)	500 विद्यार्थियो तक रु0 500.00,उससे अधिक रु0- 1000.00 प्रतिमाह
15.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	रू0 1500.00 प्रतिमाह 20 बेड तक रू0 2000.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक रू0 5000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक रू0 5000.00 प्रतिमाह 101 से अधिक बेड तक
16.	क्लीनिक/पैथोलोजी	रु0 100.00 प्रतिमाह क्लीनिक
17.	दुकान/चाय की दुंकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु0 50.00, बाजार की दुकान रु0 75.00, शोरुम रु 200.00, छोटे मॉल रु0 1000.00प्रतिमाह

18.	फैक्ट्री	रु0 600.00 प्रतिमाह छोटी रू0 1000.00 प्रतिमाह बड़ी
19.	वर्कशॉप	रू0 200.00 प्रतिमाह
20.	कबाडी	रु0 100.00प्रतिमाह छोटा कबाड़ी रू0 500.00 प्रतिमाह बड़ा कबाड़ी
21.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु0 100.00 प्रतिमाह
22.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु0300.00 प्रति उत्सव/आयोजन
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	रू0 100.00, 0.50 घन मी0 तक रू0 250.00, 1.00 घन मी0 तक रू0 500.00, 2.00 घन मी0 से अधिक
24.	सिनेमा हॉल	रु0 1000.00 प्रतिमाह
25.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्थान की स्थिति के अनुसार)	रू0 200.00 से रू0 2000.00 तक

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार (एल0पी0एस0सी0) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दंड

क्र स	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	200.00
			बल्क जनरेटर	1000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	2000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	4000.00

			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	5000 जारी रहने पर 15,000 तक
			फिश, मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथक्करण तरीके से न रखना	500 प्रथम बार जारी रहने पर 5000 तक
	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(2)	सडक/गली में 1.कूडा फेकना या थूकना	उल्लंघनकर्ता	200से 500 प्रथम बार , दोबारा 1000से 5000 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2. नहाना, पेशाब करना, जानवरों को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोवर नाली में बहाना		500 प्रथमबार दोबारा से 800 से 1000 तक
2.	एस.डब्लूएम. नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	100 प्रथमबार जारी रहने पर 1000 तक
			गैर-आवासीय/बल्क जनेटर	500प्रथम बार जारी रहने पर 1500 तक
3.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500 प्रथम बार जारी रहने पर 2000 तक
			गैर-आवासीय/बल्क जनेटर	5000 प्रथम बार जारी रहने पर 15000
4.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम4(2),15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	1000 प्रथम बार जारी रहने पर 5000 तक

5.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000 प्रथम बार जारी रहने पर 1.00 लाख तक
6.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200 प्रथम बार जारी रहने पर 2500 तक
7.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम4(2),15(छ)	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500 प्रथम बार जारी रहने पर 15000 तक

<u>निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा</u>

8	एस0डब्लू0एम0 नियमों का नियम 4(6)	नियमो के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्लू.ए.	7500.00
			बाजार एसोसिएशन, संघ	5 ,000.00
9.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	7500.00
			संस्थान	10000.00
10.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	5,000.00
			रेस्टोरेंट	1000.00

11.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50,000.00
12.	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 173)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कम्पनियॉ	20,000.00 प्रथम बार जारी रहने पर 50,000.00 तक
13	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	5,000.00 प्रथम बार 10,000 तक
14	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाड़ियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता/ पर्यटक/वाहन/चालक	1000.00 प्रथम बार जारी रहने पर लाइसेन्स निस्तरण की संस्तुति व जुर्माना 10,000.00 तक
15	एस.डब्लू.एम. नियमों का नियम 20(घ)	नगर निगम की उप विधि को होटल/ अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल /अतिथिग्रह स्वामी	1000.00 प्रथम बार जारी रहने पर 50 प्रतिशत 10,000.00 उल्लंघन कर्ता व 10,000.00 तक होटल मालिक 10,000.00 तक
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिविधियों के	आयोजनकर्ता	1000.00 प्रथम बार अधिकतम 10,000.00 लाख तक

		क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)		

जगदीश चन्द्रा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)।

गुरजीत सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
बाजपुर (ऊधम सिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 46 हिन्दी गजट/438–भाग–8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।